बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं:- 0151-2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रंमाक / यंत्रालय / 2019 / 18952 — 20 दिसम्बर 2019

(ई–निविदा सूचना सं 03 / 2019–20)

बीकानेर नगर निगम को विभिन्न प्रकार के वाहनों (डम्पर / ट्रेक्टर / कार / अग्निशमन वाहन / पम्प / रिफ्यूज कलेक्टर / ऑटोटिप्पर / एक्सकेवेटर बैकूहलोडर मशीन) के संचालन हेतु चालकों की आवश्यकता है। जो भी कार्य करने के ईच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने हेतु अधिकृत / पंजीकृत है से दरें निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं।

टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्तें आदि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं तथा निर्धारित अवधि तक ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ की जा सकती हैं।

(प्रदीप के. गवांडे)IAS
आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

तकनीकि बिड (प्रथम भाग)

1. ई–निविदा सूचना संख्या– 03/2019–20
2. कार्य का नाम:– आगामी 1 वर्ष के लिये नगर निगम को विभिन्न प्रकार के वाहनों (डम्पर/ट्रेक्टर/कार/अग्निशमन वाहन/पम्प/रिफ्यूज कलेक्टर/ऑटोटिप्पर/एक्सकेवेटर बैकूहलोडर मशीन) के संचालन हेतु वाहन चालक आपूर्ति कार्य।
3. फर्म का नाम:–
4. निविदा शुल्क रसीद कमांक:– दिनांक:– रकम:–
5. अमानत राशि रसीद कमांक:– दिनांक:– रकम:–
6. डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि : 09.01.2020
7. अपलोड करने की अन्तिम तिथि : 09.01.2020
8. तकनीकि बीड खोलने की दिनांक : 13.01.2020 11 बजे से 06 PM
9. लिफाफे जमा करने की दिनांक : 10.01.2020 11 बजे से 05 PM
10. निविदा की कुल लागत : 77 लाख
11. अमानत राशि 2% : 1.54 लाख

नोट:– तकनिकि बिड में सफल फर्मो की वित्तीय बिड खोली जायेगी।
(http://eproc .rajasthan.gov.in)

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रं.सं0	दस्तावेज का विवरण	√ करें
01.	अमानत राशि 2 प्रतिशत का डी.डी./बैंकर्स चैक/कमांक............ दिनांक............ राशि............ आयुक्त बीकानेर नगर निगम के नाम का	संलग्न है/नहीं है
02.	फर्म/ संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ–पत्र (मूल)	संलग्न है/नहीं है
03.	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि	संलग्न है/नहीं है
04.	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि	संलग्न है/नहीं है
05.	ई–टेण्डरिंग निविदा प्रकिया शुल्क रूपये 1000/– MDRISL, जयपुर के नाम का डी.डी./बैंकर्स चैक/कमांक............दिनांक............राशि............ ....तथा निविदा शुल्क रूपये 1000/– आयुक्त बीकानेर नगर निगम के नाम डी.डी./बैंकर्स चैक/कमांक............दिनांक............राशि............	संलग्न है/नहीं है
06.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/प्रस्तुत करने का 50/–रू के नॉन ज्यूडिषियल स्टाप पर शपथ.–पत्र प्रस्तुत करें	संलग्न है/नहीं है
07.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि	संलग्न है/नहीं है
08.	कर्मचारी राज्य निधि अधिनियम 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि	संलग्न है/नहीं है
09.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि	संलग्न है/नहीं है

उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां स्केन करके अपलोड करने एवं कार्य करने हेतु सहमत हूं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

वित्तीय बिड (द्वितीय भाग)

1. ई–निविदा सूचना संख्या– 03/2019–20
2. कार्य का नाम:– आगामी 1 वर्ष के लिये नगर निगम के विभिन्न प्रकार के वाहनों (डम्पर/ट्रेक्टर/कार/अग्निशमन वाहन/पम्प/रिफ्यूज कलेक्टर/ऑटोटिप्पर/एक्सकेवेटर बैकूहलोडर मशीन) के संचालन हेतु वाहन चालक आपूर्ति कार्य।
3. फर्म का नाम:–
4. निविदा शुल्क रसीद क्रमांक:– दिनांक:– रकम:–
5. अमानत राशि रसीद क्रमांक:– दिनांक:– रकम:–

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

दर प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	प्रति चालक प्रतिदिन कार्य हेतु कुल दर (समस्त करों सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	5+6+7+8=9
1	भारी वाहन चालक	21	कुशल–249	....	13.61	3.25	....	
2	हल्का वाहन चालक	4	कुशल–249	....	13.61	3.25	....	
3	वाहन चालक बैकहू लोडर मशीन	6	कुशल–249	....	13.61	3.25	....	
4	पम्प चालक	2	कुशल–249	....	13.61	3.25	....	

नोट:– 1. कॉलम संख्या 6 एवं 7 में प्रस्तुत दरें सरकार द्वारा निर्धारित होगी।
2. कॉलम संख्या 8 में ऋणात्मक एवं शून्य दर मान्य नही होगी।
3. कॉलम संख्या 5 में प्रस्तुत दर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मान्य नही होगी।
4. समस्त प्रस्तुत दरें पूर्ण रूपये में मान्य होगी।
5. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं:- 0151-2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

(ई-निविदा सूचना सं. 03/2019-20)

निविदा सूचना आगामी 1 वर्ष के लिये नगर निगम को विभिन्न प्रकार के वाहनों (डम्पर/ट्रेक्टर/कार/अग्निशमन वाहन/पम्प/रिफ्यूज कलेक्टर/ऑटोटिप्पर/एक्सकेवेटर बैकूहलोडर मशीन) के वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालक आपूर्ति कार्य।

1. बीकानेर नगर निगम को विभिन्न प्रकार के वाहनों (डम्पर/ट्रेक्टर/कार/अग्निशमन वाहन/पम्प/रिफ्यूज कलेक्टर/ऑटोटिप्पर/एक्सकेवेटर बैकूहलोडर मशीन) के संचालन हेतु प्रशिक्षित वाहन चालक आवश्यकतानुसार चाहे गये है जिसके लिये निविदादाता की फर्म श्रम विभाग द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिये तथा फर्म के पास जी.एस.टी. नम्बर होने आवश्यक है, उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन चालक के पास हल्का वाहन चलाने हेतु हल्का वाहन वैध लाईसेन्स व भारी वाहन चालक के पास भारी वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स होना आवश्यक है।
2. निविदादाता को प्रशिक्षित वाहन चालकों की प्रतिमाह आवश्यकतानुसार आपूर्ति देनी होगी। इन वाहन चालकों से प्रतिदिन दो पारियों में कुल 08 घंटे कार्य लिया जायेगा। 08 घंटे से अधिक समय तक कार्य लेने पर निविदा में स्वीकृत दर से अनुपातिक भुगतान किया जावेगा।
3. निविदादाता को प्रतिदिन वाहन चालक निगम भण्डार गृह गजनेर रोड पर उपलब्ध करवाने होगे। वाहन चालक गैरेज प्रभारी एवं वाहन इंचार्ज सर्किल नं. 10 के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। वाहन में डीजल आदि की आपूर्ति वाहन इंचार्ज द्वारा आवश्यकतानुसार करवाई जायेगी।
4. वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन नगर निगम भण्डार गृह से वाहन सफाई कार्य हेतु निकालना होगा तथा निगम भण्डार गृह गेट रजिस्टर में वाहन ले जाने व गंतव्य स्थान का अंकन, दिनांक, समय का अंकन करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर करने होगें तथा पुनः भण्डार गृह में वाहन छोड़ते समय यही प्रकिया अपनानी होगी।
5. वाहन चालक द्वारा वाहन भण्डार गृह से रवाना करने से पूर्व निगम गैराज विभाग में वाहन जांच करवाना होगा। वाहन चलायमान स्थिति में होने पर ही वाहन का संचालन किया जावेगा तथा पुनः वापस वाहन डालने के पश्चात् वाहन निगम गैराज में संबंधित मैकेनिक से जांच करवानी होगी। वाहन में तकनीकी खराबी होने पर उस खराबी को दूर करने के पश्चात् की वाहन भण्डार गृह से रवाना करना होगा।
6. वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगबुक निर्देशानुसार संधारित की जायेगी। वाहन में कुलेन्ट/ल्युब्रिकेन्टस/फिल्टर आदि को निर्धारित अवधि में बदलना अनिवार्य होगा। यह जिम्मेवारी संबंधित वाहन चालक की होगी। सामग्री गैराज प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
7. वाहन चालक द्वारा वाहन में डाले जाने वाले डीजल का पूर्ण सदुपयोग किया जावेगा। दुरूपयोग करने या डीजल बेचने जैसी प्रवृति में संबंधित फर्म एवं वाहन चालक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाते हुए उनका कार्यादेश निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जावेगी एवं उनकी फर्म को काली सूची में डाला जावेगा।
8. निविदादाता को निविदा प्रारूप में प्रति वाहन चालक, प्रतिदिन दर भरनी होगी। निगम में आवश्यकतानुसार वाहन चालकों की आपूर्ति ली जावेगी। संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले वाहन चालकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई व बढाई भी जा सकती है।
9. निविदादाता द्वारा आदेशित संख्या में वाहन चालक उपलब्ध करवाने होगे, वांछित संख्या से कम संख्या में वाहन चालक उपलब्ध करवाने पर प्रति वाहन चालक प्रतिदिन 300/- की शास्ती लगाई जावेगी जो आगामी प्रस्तुत बिल में से काटी जायेगी।
10. निगम/गैराज के साप्ताहिक अवकाश वांछित प्रति वाहन चालक को स्वीकृत दर से अनुपातिक भुगतान किया जायेगा।

ा.एस.टी. व अन्य सभी कर चुकाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
-छांट वाली निविदाओ पर बिना लघु हस्ताक्षर के विचार नहीं किया जावेगा।
निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।
. नई निविदा स्वीकृत होने अथवा नये कार्यादेश जारी होने तक निविदा अवधि/अनुबंध अवधि बढ़ाई जा सकेगी तथा संवेदक को स्वीकृत दर पर ही कार्य करना होगा।

15. संवेदक द्वारा प्रतिमाह की 10 तारीख तक अपना बिल प्रस्तुत करना होगा। बिल वाहन इंचार्ज सर्किल नं 10 व स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित करवाकर गैराज शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
16. कार्यरत मशीनों को निगम महापौर, आयुक्तगण, स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। संबंधित वाहन चालक को इनके निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
17. निविदा के बारे में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगा।
18. आपसी विवाद पर महापौर नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा जो दोनों पक्षो को मानना होगा।
19. उपरोक्त शर्तो में किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध की अवहेलना से दोषी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर जमा धरोहर राशि एवं जमा बकाया भुगतान जब्त किया जावेगा। बकाया कार्य संवेदक की रिस्क एण्ड कास्ट पर करवाया जावेगा, बकाया की वसूली संवेदक के बिलों एवं बकाया राशि में से की जावेगी। निविदा अवधि कार्यादेश की दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होगी।
20. उपलब्ध करवाए गए वाहन चालक को लॉग बुक संधारण करना होगा व किए गए कार्य का सम्बन्धित मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक या जमादार द्वारा प्रमाणित करवाना होगा।
21. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में देय अंशदान की राशि जमा कराये जाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी एवं ESI भी संवेदक द्वारा ही कराया जाना होगा।
22. प्रत्येक वाहन चालक को प्रति माह में कम से कम 26 दिन उपस्थित होना होगा। प्रति माह 4 साप्ताहिक अवकाश देय होगा। साप्ताहिक अवकाश के दिनों में निगम द्वारा कार्य करवाये जाने पर अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जावेगा एवं वाहन में तकनीकि खराबी के दौरान वाहन को कार्य में नहीं लिये जाने पर वाहन चालक को भुगतान देय नहीं होगा।
23. यदि संवेदक को अतिरिक्त कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है तो उसके द्वारा निर्धारित संख्या में वाहन चालक उपलब्ध करवाने पडेंगे अन्यथा प्रति वाहन चालक 300 रू. प्रतिदिन की शास्ति देनी होगी।
24. प्रोसेसिंग फीस का डीडी/बैंकर्स चैक महाप्रंबधक आरआईएसएल, जयपुर के नाम होना चाहिए तथा बिड सिक्योरिटी, टेंडर फीस का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त नगर निगम, बीकानेर के नाम का होगा।
25. निविदा आनॅलाईन भरी जायेगी। निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा स्वीकार होगी। निविदादाता को धरोहर राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो सबंधित निविदादाताओं द्वारा आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर के नाम हो प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित दिनांक को निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क तथा धरोहर राशि की निर्धारित राशि RTGS के माध्यम से भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नगर निगम शाखा, बीकानेर के खाता संख्या 531102010005760, IFSC कोड UBIN0553115 मे भी जमा करवायी जा सकती हैं। RTGS की प्राप्ति रशीद को www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
26. सभी निविदादाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 और GF&R के नियम/प्रावधान लागू होगें ।
27. समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निगम अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश/आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
28. ठेकेदार को लेबर लॉ की पालना करनी होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी लगाने होंगे, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों की कार्य के दौरान कोई दुर्घटना/जान माल कि हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
29. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व वार्षिक अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत परफारमेन्श राशि अग्रीम में निगम कोष में जमा कराना होगा।

द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले वाहन चालक का वाहन चलाने का लांइसेन्स व एक वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 7 दिन के अन्दर निम्नानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। जिसके व्यय संवेदक द्वारा वाहन किया जायेगा।

32. निविदादाता को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन चालकों की मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर निविदादाता वैधानिक रूप से उतरदायी होगा। निविदादाता पर श्रम कानून के सभी नियम लागू होंगे।
33. निविदादाता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं श्रम अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
34. ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह का बकाया होगा तो उसकी भी समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। इसके लिये निगम किसी भी तरह से उतरदायी नहीं होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई जमा राशि के चालान श्रमिकों के नाम सहित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
35. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
36. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीयन कराना होगा। इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
37. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
38. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
39. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतक दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें निपयोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत् माह के पेटे श्रमिकों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
40. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तार्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक का होगा।
41. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिमाणों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
42. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतक मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उतरदायी होगा।
43. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

...दक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की षिकायत उपापन ...था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डेबर कराने की कार्यवाही करेगी।

...5. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

46. निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित विभाग के परिपत्र सं0 1/2018 दिनांक 30.04.2018 लागू होंगे।

47. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 46 के अन्तर्गत बोली लगाने वाला दोषी पाया जाता है तो उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से विवर्जित (डिबर) किया जा सकेगा।

48. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन चालकों को शहर के विभिन्न वार्डो में घर–घर कचरा संग्रहण हेतु भेजा जायेगा। उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन चालक मधुरभाषी व अनुशासित होना चाहिए।

उपरोक्त शर्ते 1 से 48 तक पढ़ा, सुना, मनन करने के पश्चात् मैं/हम इन शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हैं।

18/11/19			
सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	मुख्य लेखाधिकारी	स्वास्थ्य अधिकारी	उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम